संचालक
जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल

अभिरूचि की अभिव्यक्ति
(Expression of Interest)

क्रमांक 1 /संचा./ज.स.सं./रा.ज.मि./लो.स्वा.यां.वि./2015 भोपाल, दिनांक 23-6-2015

संचालक, जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्षेत्र में आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के उददेश्य से अनुभवी अशासकीय संस्थाओं/ संगठनों/ फर्मों से पंजीयन (Impanelment) हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बेवसाइट www.mpphed.gov.in पर उपलब्ध है। पंजीयन (Impanelment) हेतु अशासकीय संस्था/संगठन/फर्म को निम्नलिखित पात्रताएँ पूर्ण करना आवश्यक होगा :–

अ. 1. संस्था का फर्म/सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत जीवित पंजीयन होना चाहिए।

2. संस्था द्वारा पिछले दो वर्षो से मध्यप्रदेश में कार्यालय संचालित किया जा रहा हो। इस हेतु वांछित साक्ष्य।
3. संस्था ने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किन्हीं विभागों के साथ ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन के 3 प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया हो तथा प्रत्येक प्रोजेक्ट की राशि रू. 3.00 लाख से कम न हो।
4. संस्था को आई.ई.सी. एवं क्षमतावर्धन के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षो का अनुभव होना चाहिए, जिसमें जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कम से कम एक परियोजना का कार्य सफलापूर्वक हो।
5. संस्था का पिछले तीन वर्षो में किये गये कार्यो का औसत टर्नओवर प्रतिवर्ष 10.00 लाख रूपये या इससे अधिक हो।
6. संस्था को भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा "ब्लैक लिस्टेट" न किया गया हो।

नोटः–बिन्दु क्र. 3 एवं 5 के सत्यापन हेतु संस्था/संगठन के पिछले तीन वर्षों सहित अन्य वर्षो की चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित बैलेंस सीटें प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अथवा

ब. यदि किसी संस्था द्वारा लो.स्वा.यां.वि. में सहायक गतिविधियों के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में सूचना शिक्षा एवं संचार अथवा प्रशिक्षण गतिविधियों का कियान्वयन किया हो, जिसकी लागत रुपये 5.00 लाख या अधिक हों तो ऐसी संस्था पंजीयन (Impanelment) हेतु पात्र होंगी । इस हेतु संस्था को कार्यपालन यंत्री स्तर से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाली संस्था/संगठन द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों में संस्था की जानकारी एवं इम्पेनलमेंट फीस राशि रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) "संचालक, जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल" के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट (नॉन रिफन्डेवल) सहित किसी भी कार्य दिवस में संचालक, जल सहायता, संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल को आवेदन करने पर संस्था के अभिलेखों का सत्यापन कर पात्रता सिद्ध पाये जाने पर संस्था का पंजीयन (Impanelment) किया जावेगा।

संचालक 24/6/15

इम्पेनलमेंट के लिये अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) हेतु सूचना

संचालक, जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामों में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। जल प्रदाय योजनाओं की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने एवं योजनाओं के प्रति ग्रामीणों में स्वामित्व का भाव उत्पन्न करने हेतु प्रचार–प्रसार गतिविधियों का आयोजन तथा पंचायत राज संस्थाओं/ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समितियों/ग्राम पेयजल उप समितियों का संचालन–संधारण एवं अनुश्रवण हेतु क्षमतावर्धन किया जाना है।

1.0 चयनित अशासकीय संस्थाओं/संगठनों/फर्मों द्वारा ग्रामों में निम्नलिखित कार्य करने होंगे :–

1. ग्रामीणों में पेयजल प्रदाय योजनाओं के प्रति जागरूकता का निर्माण।
2. पेयजल योजनाओं के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का सामाजिक एवं आर्थिक आंकलन करना।
3. पेयजल योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान स्थिति पर सर्वेक्षण कर पेयजल से संबंधित बेसलाईन (Baseline) डाटा तैयार करना।
4. पेयजल एवं स्वच्छता पर बेहतर प्रयासों का दस्तावेजीकरण करना।
5. पेयजल योजनाओं के निर्माण में ग्रामीणों की जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
6. पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग राशि एकत्रित करने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करना।
7. योजना के संचालन–संधारण हेतु ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों/पंचायती राज संस्थाओं/ ग्राम पेयजल उप समितियों के सदस्यों का क्षमतावर्धन करना।
8. ग्राम स्तर पर पेयजल योजनाओं का ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों/पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम पेयजल उप समितियों के सदस्यों का लेखा संधारण, बैठक रजिस्टर, लॉग–बुक आदि के संधारण हेतु क्षमता वृद्धि करना।
9. जल प्रदाय योजना के अंतर्गत लाभांवित ग्रामों में नियमित जल प्रदाय एवं संधारण की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
10. पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत संस्था को ग्राम स्तर पर 1 वर्ष तक ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों/पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम पेयजल उप समितियों के सदस्यों को संचालन–संधारण, लेखा संधारण, जलकर जमा करने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करना आदि कार्यों में सहयोग प्रदाय करना।
11. जल सहायता संगठन के मुख्यालय में समन्वयन हेतु समन्वयक की नियुक्ति करना।

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संचालन–संधारण ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों /पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम पेयजल उप समितियों के माध्यम से किया जाना है। उपरोक्त कार्यों हेतु संचालक, जल सहायता, संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रदेश में ग्रामीण जल प्रदाय के क्षेत्र में आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के उद्देश्य से अनुभवी संगठन/संस्था/ख्याति प्राप्त फर्म से पंजीयन आवेदन आमंत्रित करता है।

2.0 संस्था के प्रयासों से निम्नलिखित परिणामों की अपेक्षा है :–

1. ग्रामीण परिवारों द्वारा योजना से पेयजल प्रदाय हेतु माँग उत्पन होना।
2. ग्रामीणों द्वारा जनभागीदारी के रूप में संचालक, जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तय नीति अनुसार योजना की लागत का प्रतिशत अंशदान के रूप में एकत्रित होना।
3. ग्राम के प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्राप्त होना।

4. नलजल प्रदाय योजना से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समान वितरण होना।
5. ग्राम के सभी समुदायों के परिवारों तक जल प्रदाय योजना की पहुँच होना।
6. नलजल प्रदाय योजना के अंतर्गत उपभोगताओं द्वारा जल कर का नियमित भुगतान।
7. समुदाय एवं समिति का जल प्रदाय योजना पर स्वामित्व का भाव उत्पन्न होना एवं संधारण–संचालन स्वेच्छा से करने की जिम्मेदारी लेना।
8. समिति के सदस्यों का समिति प्रबंधन, संचालन–संधारण हेतु क्षमतावर्धन होना।
9. समिति की नियमित निर्धारित बैठकें आयोजित होना।

3.0 पंजीयन (इम्पेनलमेंट) हेतु संस्था/संगठन को निम्नलिखित पात्रताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा :–

अ. 1. संस्था का म0प्र0 राज्य में फर्म/सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत जीवित पंजीयन होना चाहिए।

2. संस्था द्वारा पिछले दो वर्षो से मध्य प्रदेश में कार्यालय संचालित किया जा रहा हो। इस हेतु वांछित साक्ष्य।
3. संस्था ने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किन्ही विभागों के साथ ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन के 3 प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया हो तथा ऐसे प्रोजेक्ट की राशि रूपये 3.00 लाख से कम न हो।
4. संस्था को आई.ई.सी. एवं क्षमतावर्धन के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिये, जिसमें जल एवं स्वच्छता क्षेत्र की एक परियोजना पर कार्य किया जान आवश्यक है।
5. संस्था को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा "ब्लैक लिस्टेड" न किया गया हो।

नोट :– बिन्दु क्र. 3 एवं 5 के सत्यापन हेतु संस्था/संगठन के पिछले तीन वर्षों सहित अन्य वांछित वर्षों की चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित बैलेंस सीटें प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अथवा

ब. यदि किसी संस्था द्वारा लो.स्वा.यां.वि. में सहायक गतिविधियों के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में सूचना शिक्षा एवं संचार अथवा प्रशिक्षण गतिविधियों का कियान्वयन किया हो, जिसकी लागत रुपये 5.00 लाख या अधिक हों तो ऐसी संस्था पंजीयन (Impanelment) हेतु पात्र होंगी । इस हेतु संस्था को कार्यपालन यंत्री स्तर से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4.0 योजना प्रस्ताव की अवधि :–

संस्था द्वारा प्रस्ताव 1 वर्ष हेतु तैयार किया जायेगा। जो कि वर्ष समाप्ति पर 1 बार या अधिकतम 2 बार बढ़ाया जा सकेगा एवं संस्था को पेयजल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन के उपरांत ग्राम स्तर पर 1 वर्ष तक ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों/पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम पेयजल उप समितियों के संचालन–संधारण, लेखा संधारण, जलकर जमा करने हेतु ग्रामीणों प्रेरित करना आदि कार्यों हेतु सहयोग प्रदाय करना होगा।

उक्त संस्थाओं का पंजीकरण (इम्पेनलमेंट) नामांकन 3 वर्षों तक मान्य रहेगा। इस अवधि में संस्था का म.प्र. राज्य में फर्म/ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण का जीवित होना आवश्यक होगा। नामांकित संस्थाओं से वित्तीय ऑफर लिये जावेगें। संस्था का चयन QCBC (गुणवत्ता एवं लागत आधारित तुलना) पद्धति से होगा।

उपरोक्त पात्रता रखने वाली इच्छुक संस्थाओं को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्रों में संस्था की जानकारी सहित किसी भी कार्य दिवस में संचालक, जल सहायता, संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल कार्यालय के निम्नलिखित पते पर जमा करना होगा। संस्था को आवेदन के साथ इम्पेनलमेंट फीस के रूप में रू. 10,000/– (दस हजार) संचालक, जल सहायता, संगठन, राज्य जल मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट (नॉन रिफण्डेवल) जमा कराना होगा।

कार्यालय का पता :–

संचालक,
जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
e-mail phecdubpl@gmail.com
Web - www.mpphed.gov.in

प्रपत्र–1 : संस्था का विवरण

क्र.	वांछित जानकारी	विवरण	
1.	संस्था का नाम		
2.	पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष		
3.	पिछले तीन वर्षों का वित्तीय विवरण (टर्नओवर)		
	वर्ष	**राशि (रूपये में)**	**संलग्नक क्रमांक (ऑडिट रिपोर्ट)**
a	वर्ष 2011–12		
b	वर्ष 2010–11		
c	वर्ष 2009–10		
	संस्था का औसत टर्नओवर प्रतिवर्ष	रूपये	
4.	संस्था में उपलब्ध मानव संसाधन की जानकारी जिन्हें संस्था जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों के लिए नियुक्त करेगी।		

क्र.	नाम	शैक्षणिक स्तर	कार्य अनुभव वर्षों में			संलग्नक क्रमांक
			आई.ई.सी.	जल एवं स्वच्छता	कुल	
a						
b						
c						

5.	संस्था द्वारा स्वघोषणा पत्र दिया जाये कि संस्था केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग/कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लैकलिस्ट नहीं की गई है।	संलग्नक क्रमांक
6.	पिछले पाँच वर्षों में आई.ई.सी. संबंधित कार्यक्रमों का विवरण।	संलग्नक क्रमांक
7.	पिछले पाँच वर्षों में जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों से संबंधित प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन कार्यो का विवरण।	संलग्नक क्रमांक
8.	संस्था को किन–किन दाता संस्थाओं के द्वारा अनुदान/प्रोजेक्ट प्राप्त हुए है।	संलग्नक क्रमांक
9.	संस्था के पास उपलब्ध भौतिक संसाधन की सूची।	संलग्नक क्रमांक
10.	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उसके किसी विभाग के साथ पूर्ण किये तीन प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन प्रोजेक्टों का विवरण। जिसमें प्रत्येक प्रोजेक्ट/कार्यादेश रूपये 3.00 लाख से कम न हो।	प्रपत्र 2 अनुसार
11.	संस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लो.स्वा.यां.वि. में सहायक गतिविधियों के अंतर्गत सूचना शिक्षा एवं संचार अथवा प्रशिक्षण गतिविधियों का कियान्वयन का विवरण	प्रपत्र 5 अनुसार

प्रपत्र–2 : संस्था द्वारा आई.ई.सी. संबंधित कार्यक्रमों का विवरण (कुल कितने वर्ष का अनुभव है? -----)

क्र.	प्रोजेक्ट / कार्यक्रम का नाम	दाता संस्था / ऐजेंसी का नाम	प्रोजेक्ट / कार्यक्रम की राशि	समयावधि वर्षवार विवरण सहित	भौगोलिक कार्यक्षेत्र	मुख्य उपलब्धियाँ

प्रपत्र–3 : संस्था द्वारा जल एवं स्वच्छता से संबंधित प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रमों का विवरण (कुल कितने वर्ष का अनुभव है? -----)

क्र.	प्रोजेक्ट / कार्यक्रम का नाम	दाता संस्था / ऐजेंसी का नाम	प्रोजेक्ट / कार्यक्रम की राशि	समयावधि वर्षवार विवरण सहित	भौगोलिक कार्यक्षेत्र	मुख्य उपलब्धियाँ

प्रपत्र–4 : संस्था द्वारा पिछले पाँच वर्षों में संचालित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण (प्रपत्र क्रमांक 1,2 एवं 3 में उल्लेखित विवरण को छोड़कर)

क्र.	प्रोजेक्ट / कार्यक्रम का नाम	दाता संस्था / ऐजेंसी का नाम	प्रोजेक्ट / कार्यक्रम की राशि	समयावधि वर्षवार विवरण सहित	भौगोलिक कार्यक्षेत्र	मुख्य उपलब्धियाँ

प्रपत्र–5 : संस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लो.स्वा.यां.वि. में सहायक गतिविधियों के अंतर्गत सूचना शिक्षा एवं संचार अथवा प्रशिक्षण गतिविधियों का कियान्वयन का विवरण :–

क्र.	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	वित्तीय वर्ष	कार्यादेश कमांक / दिनांक	संपादित कार्य की राशि रुपये लाख में	अनुभव प्रमाण–पत्र कमांक एवं दिनांक

प्रपत्र–6 : परियोजना उद्देश्यों की पूर्ति हेतू संस्था द्वारा प्रस्तावित रणनीति एवं कार्य अवधि का विवरण कंडिका 1.0 में बिन्दु 1 से 11 में दर्शाये गये कार्यों के संदर्भ में (अधिकतम 10 पृष्ठों में)